उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-04/2019-20

विकास कुमार

बनाम्

राकेश पोद्दार

-: आदेश :-

दिनांक 27.03.

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता विकास कुमार, पे0–योगेन्द्र प्रसाद यादव, सा0–गंगासागर, महागामा, थाना–महागामा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–226/16–17 के आदेश दिनांक–01.03.2019 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–226/16–17 के आदेश दिनांक–01.03.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा गनसागर नं0–693 जमाबंदी सं0–4 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गणेश राउत के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत गणेश राउत अपीलकर्त्ता के दादा थे। उनका आगे कथन है कि उक्त जमाबंदी सं0–4 के अन्तर्गत दाग नं0–73 रकवा–00–09–18 धूर जमीन अपीलकर्त्ता के पिता के हिस्से में प्राप्त हुआ। उसमें से रकवा 00–01–13 धूर जमीन पर उन्होनें मकान बनाया। बाद में अपीलकर्त्ता ने उक्त मकान दो माह के लिए रहने हेतु उत्तरवादी को दिया था। लेकिन उत्तरवादी ने जबरन उक्त मकान को कब्जा कर लिया है। इसलिए उत्तरवादी को उस जमीन से हटाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय आर0ई0आर0 केश नं0–226/2016–17 दायर किया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने गलत ढंग से अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है। उनका आगे कथन है कि मान्नीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के निर्णय जो 2008(3) जे0एल0जे0आर0 पेज सं0–408 चाँदो मोहली बनाम् झारखण्ड सरकार एवं अन्य के निर्णय के अनुसार यदि किसी के रैयती ज़मीन को अवैध ढंग से कब्जा कर लिया जाता है तो संथल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत उसे उच्छेद किया जा सकता है। इस मामले में उत्तरवादी के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि अपीलवाद गत जमीन रैयती जमीन है। लेकिन निम्न न्यायालय ने उत्तरवादी को उस जमीन से उच्छेद नही कर अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम

संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता के पिता–लखन राउत के द्वारा गोड्डा न्यायालय में मौजा गंगासागर नं0–693 जमाबंदी–04 के अंदर दाग नं0–73 रकवा 00–00–16 धूर जमीन के लिए एक शपथ पत्र तैयार किया गया है एवं उस शपथ पत्र में अपीलकर्त्ता के पिता के द्वारा स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्त्ता के दादा जमाबंदी रैयत गणेश राउत के द्वारा 1949 के पूर्व 1936 ई0 में कारू भगत को कुर्फा के द्वारा दान में दिया था। कारू भगत उत्तरवादी के पत्नी सुनीता देवी के दादा थे। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन पर उत्तरवादी के पूर्वज के समय से ही दखलकार हैं एवं उत्तरवादी का उस जमीन पर आवासीय मकान बना हुआ है और उत्तरवादी उस जमीन पर अवस्थित मकान पर सपरिवार निवास कर रहे हैं। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है।उन्होनें निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस सम्बंध में अंचल अधिकारी,महागामा के पत्रांक–152/रा0 दिनांक–14.03.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गनसागर नं0–693 जमाबंदी नं0–04 दाग नं0–73 रकवा 00–09–18 धूर भूमि खतियान में गिरू राउत प्रधान वल्द फुला राउत वो दुखी राउत वल्द दारोगी राउत वो शरवन राउत वो अकलु राउत वो गोखुल राउत वो धनेशर राउत वल्द तपेशर राउत वो वृहस्पत राउत वो धनपत राउत वो गणेश राउत पे0 तिलोकी राउत कौम ग्वाला सा0–देह् गत सर्वे खतियान में अंकित है। आवेदक विकास कुमार पिता–योगेन्द्र प्रसाद यादव सा0–गंगासागर पो0–महागामा थाना–महागामा जिला–गोड्डा खतियानी रैयत गणेश राउत का पोता है। उक्त दाग नं0 के अन्दर 00–01–13 धूर, चौहद्दी उ0 मोफिल शंकर भगत, द0–अवध शर्मा, पु0–बाँध, प0–मुख्य सड़क भूमि पर पक्के का मकान वर्त्तमान में अवस्थित हैं, जिसमें राकेश पोद्दार सपरिवार वास कर रहें हैं। इनके द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। खतियानी रैयत से राकेश पोद्दार का कोई संबंध नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गनसागर नं0–693 जमाबंदी सं0–04 दाग नं0–73 रकवा 00–09–18 धूर जमीन खतियान में गिरू राउत प्रधान वल्द फुला राउत वो दुखी राउत वल्द दारोगी राउत वो शरवन राउत वो अकलु राउत वो गोखुल राउत वो धनेशर राउत वल्द तपेशर राउत वो वृहस्पत राउत वो धनपत राउत वो गणेश राउत पे0 तिलोकी राउत के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता विकास कुमार गत जमाबंदी रैयत गणेश राउत के पोता है। निम्न न्यायालय ने अपील वादगत जमीन दाग नं0–173 रकवा 00–00–16 धुर पर मकान अवस्थित

होने के कारण उत्तरवादी को उच्छेद नही किया है। लेकिन वर्त्तमान अपील वाद में अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी राकेश पोद्दार का गत जमाबंदी रैयत से संबंध नहीं है। उत्तरवादी के द्वारा प्रतिकुल प्रभाव से दखल होने का कोई साक्ष्यजनित कागजात दाखिल नहीं किया गया है। गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अपील वादगत जमीन दाग नं0–73 रकवा 00–09–18 धुर जमीन धानी दोयम कहकर दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त अपील वाद जमीन कृषि योग्य जमीन है और कृषि योग्य भूमि पर गैर रैयत का दखल संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत है। इस प्रकार यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत अवैध हस्तान्तरण मामला प्रतीत होता है और ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–226/16–17 में दिनांक–01.03.19 के पारित आदेश को निरस्त करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मौजा–गनसागर नं0–693 जमाबंदी नं0–04 दाग नं0–73 रकवा 00–00–16 धुर जमीन से उच्छेद किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि भूमि पर अपीलकर्त्ता को दखल दिला कर दो माह के अंदर अनुपालन से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

24/03/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

24/03/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.12.30 12:50:13 +05:30
Location: 172.25.192.1